UPGK010052572026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2298/2026

मोहित कुमार पुत्र उपेन्द्र पासवान, उम्र 31 वर्ष
निवासी ग्राम–विकास नगर, बरगदवा, थाना–गोरखनाथ, जनपद–गोरखपुर।।

............आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं0–421/2026,
धारा–178,179,180,181,61(2) भा0 न्याय सं0
थाना–गुलरिहा, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

जमानत का यह प्रार्थना पत्र, आवेदक/अभियुक्त मोहित कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध सं0–421/2026, धारा–178,179,180,181,61(2)भारतीय न्याय संहिता, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. अभियोजन पक्ष के कथनानुसार वादी मुकदमा उ0नि0 मदन मोहन मिश्रा द्वारा दिनांक 25.05.2026 को समय करीब 04.09 बजे थाना स्थानीय पर इस आशय की प्र०सू०रि० दर्ज करायी गयी कि आज दिनांक 25.05.2026 को मैं अपने हमराहियान के साथ बकरीद त्योहार के दृष्टिगत देखभाल क्षेत्र, चेंकिग, पशु तस्कर वाहन में दहला पिकेट में मौजूद था कि चौकी प्रभारी पादरी बाजार, अखण्ड प्रताप सिंह अपने हमराहियान के साथ दहला पिकेट पर उपस्थित आये। बकरीद त्योहार के दृष्टगत बाहर से आने वाले वाहनों पर व क्षेत्र में हो रही घटनाओं के संबंध में आपस में चर्चा कर रहे थे कि मुखवीर खास उपस्थित आकर बताया कि साहब सरस्वतीपुरम कालोनी पादरी बाजार में स्थित एक शटर की दूकान में कुछ लोग नकली नोट तैयार कर रहे हैं तथा रोज रात को इक्ठ्ठा होकर नकली नोट तैयार करने का काम करते हैं तथा उसे बाजार में असली नोटों के साथ चला देते हैं। मुखवीर खास की बात पर विश्वास करते हुए आपस में एक दूसरे से उक्त सूचना के विषय में बताते हुए जामा तलाशी लिया गया। जामा तलाशी में किसी भी पुलिसकर्मी के पास से कोई आपत्तिजनक सय नहीं मिला तत्पश्चात मुखवीर खास को साथ लेकर उसके बताये स्थान पर पहुँचा जहाँ उसके द्वारा इशारा कर उक्त दुकान को दिखाया गया, जो आधा खुला हुआ था। तत्पश्चात हम पुलिस वाले उक्त दुकान के पास पहुँचकर आधा खुले शटर को पूरा खोला गया तो दुकान के अन्दर पाँच व्यक्ति मौजूद मिले तथा हम पुलिस वालों को देखकर हड़बड़ा गये। अपना अपना काम छोड़कर एक तरफ खड़े हो गये दुकान के अन्दर मौजूद टेबल पर पॉच सौ के प्रिन्टेड नकली नोट, ए4 साईज पेपर पर दिखाई दिया। उक्त के संबंध में मौजूद लोगों जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा

गया तथा मेज पर पड़े पॉच सौ रूपये नोट के संबंध में कड़ाई से पूछने पर मौजूद सभी व्यक्तियों ने एक स्वर में बताया कि हम लोग बिहार राज्य से सीखकर आये हैं। यहाँ प्रिन्टिंग प्रेस के आड़ में रात के समय हम लोग पॉच सौ रूपये, सौ रूपये व दो सौ रूपये का नकली नोट छापकर मार्केट में असली नोटों के साथ मिलकर चला देते हैं जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। मौके पर प्रिन्टिंग प्रेस की दुकान में हमराहियान व कर्मचारीगण के सहयोग से विधिवत चेंकिग किया गया तो एक अदद मानिटर सहित अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद हुए। उपरोक्त लोगों द्वारा बताया गया कि साहब अस्थायी रूप से यह जगह बनायी गयी है। यही पर जाली नोट बनाये जाने के सभी उपकरण रखे हैं जिसे आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है। पकड़े गये उपरोक्त सभी लोगों को उनके कृत्य से अवगत कराते हुए गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार किया जा रहा है।

3. आवेदक/अभियुक्त के आविद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। कथित घटना की प्र०सू०रि० थाना स्थानीय पर काफी विलम्ब से अंकित करायी गयी है और विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण प्र०सू०रि० में अंकित नहीं है। प्रार्थी के विरोधियों ने थाना स्थानीय की पुलिस को मिलाकर प्रार्थी को फर्जी ढंग से उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त बना दिया है। कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है जो भी बरामदगी कही जाती है वह पूर्णतः फर्जी और बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। आवेदक/अभियुक्त को पुलिस ने गलत बरामदगी दिखाकर गिरफ्तार किया है। आवेदक/अभियुक्त प्रार्थी का विगत कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध है। उपरोक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ साजिश करके प्रिन्टिंग प्रेस के माध्यम से पॉच सौ रूपये, सौ रूपये व दो सौ रूपये के नकली नोट छापकर मार्केट में असली नोटों के साथ मिलाकर चलाने का गंभीर अपराध कारित किया गया है। पुलिस द्वारा दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त के पास से जाली नोट बरामद किये गये हैं। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. यद्यपि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। वर्तमान मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ साजिश करके प्रिन्टिंग प्रेस के माध्यम से पॉच सौ रूपये, सौ रूपये व दो सौ रूपये के नकली नोट छापकर मार्केट में असली नोटों के साथ मिलाकर चलाने का गंभीर अभिकथन है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विवेचना विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं0–2 में ही विवेचक ने वादी मुकदमा उ0नि0 मदन मोहन मिश्रा एवं फर्द गवाह अखण्ड प्रताप सिंह के बयान अंकित किये हैं जिन्होंने अपने–अपने बयान में वादी ने कथित अपराध में

आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के बिन्दु पर विस्तृत कथन किये हैं। मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना अभी प्रचलित है तथा अब तक की गयी विवेचना के अवलोकन से कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रतीत होती है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता तथा कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त मोहित कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–2298/2026 निरस्त किया जाते हैं।

दिनांकः 04.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.04 16:57:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court